


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



428035



VISHVESH VARSHNI
Advocate
Reg No U 9617/2000
Tehsil Compound, Jadhana, (Meerut)


--: 1 :-



विक्रय पत्र

VISHVESH VARSHNI

Reg No
Tehsil Compound



विक्रय पत्र मालियती अंकन 10,03,500/- रुपये।

भूमि का अन्य प्रयोजन का सर्किल रेट 15,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर।

निर्धारित सर्किल रेट से कीमत अंकन 10,03,500/- रुपये।

स्टाम्प शुल्क अंकन 1,00,400/- रुपये।

221411



Handwritten signature and scribbles.

क्र. सं. 27 19-3-08 200000

नामिल सं. 26 में शामिल किया गया


R. Kelo

रप - रोकदिया


परिषद



Handwritten signature or scribble at the bottom of the page.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



428037

-: 3 :-

विक्रय पत्र ओर से सुरेशपाल पुत्र स्व० श्री श्याम सिंह निवासी मकान नं०-209, शिवलोकपुरी, कंकरखेडा, मेरठ तहसील व जिला मेरठ - प्रथम पक्ष/विक्रेता

एवं

श्री विनायक ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, मुख्य कार्यालय २०९ शिवलोकपुरी, कंकरखेडा मेरठ, द्वारा ट्रस्टी विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेशपाल निवासी 209, शिवलोकपुरी, कंकरखेडा, मेरठ - द्वितीय पक्ष/क्रेता

सुरेशपाल

विजेन्द्र सिंह




क्र. सं. 20. 19-308 20000
मासिक सं. 25

मूल्य...
किया गया

H. K. K.
अप- रोकडिया
संरक्षक



[Handwritten signature]



- . 4 :-

जो कि अपनी संक्रमणीय भूमिघरी में 0.6690 है शून्य दशमलव छः छः नो शून्य हैक्टियर, अज खसरा नम्बरान 1689/, रकबा 0.7710 है, शून्य दशमलव सात सात एक शून्य हैक्टियर सम्पूर्ण, व खसरा नम्बर 1688/9, रकबा 0.1900 है में से 0.1100 है, शून्य दशमलव एक एक शून्य शून्य हैक्टियर व खसरा नम्बर 1696/1, रकबा 1.6950 है, एक दशमलव छः नो पांच शून्य हैक्टियर में से 0.4950 है, शून्य दशमलव चार नो पांच शून्य हैक्टियर, यानि कुल भूमि 1.3760 है, एक दशमलव तीन सात छः शून्य हैक्टियर में से अपने समस्त भाग में से दिक्रित भूमि 0.6690 है शून्य दशमलव छः छः नो शून्य हैक्टियर, स्थित ग्राम पावली खास, परंगना दौराला, तः सील सरधना जिला मेरठ

सुरेश चतल




क्र. सं. 29. 19-3-08 मूल्य 100000.
शामिल सं. 28 में शामिल किया गया।

K. Kula


रप - रोकडिया
सरधमा



—



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-: 5 :-

का प्रथम पक्ष, विक्रेता व्यक्तिगत स्वामी और विक्रयाधिकारी है जो प्रथम पक्ष ने दिनांक 18.04.2007 ई० को श्रीमती प्रकाश गुप्ता पत्नी स्व० कर्नल नन्दकिशोर गुप्ता निवासी 18/2, बुक स्ट्रीट, मेरठ कैंट से द्वारा रजि० विक्रय-पत्र क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक सरधना पर प्रतिपुस्तक संख्या 1 खण्ड 1364 के पृष्ठ 69/104 पर क्रम संख्या 4106 पर दिनांक 18.04.2007 ई० दर्ज है तथा जो आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त है, विक्रेता को मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है, जो इस वस्तु के बाजारी मूल्य के बराबर है, इससे अधिक मूल्य मिलने की कोई सम्भावना


अरशाम


अरशाम



56
 विनायक 5000
 19/03/09

असे डण्ड
 सुड सोबाल वेमपेण्ट इस्ट इरि इन्टी
 विजेत विड श सुबोपाल 209
 विपलोक्य परी माले डेव
 5000





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-: 6 :-

नही है, जिसको विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष/विक्रेता का पूरा-पूरा लाभ व भलाई है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि को अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि सहित स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में बिना कोई अंश व भाग वचाये अंकन 10,03,500/- दस लाख तीन हजार पांच सौ रुपये में कि आधे जिसके अंकन 5,01,750/- पांच लाख एक हजार सात सौ पचास रुपये होते हे, विक्रय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते विनायक ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, मुख्य कार्यालय 209 शिवलोकपुरी, कंकरखेडा मेरठ, द्वारा ट्रस्टी विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेशपाल निवासी 209, शिवलोकपुरी, कंकरखेडा, मेरठ को विक्रय कर दी और पूर्णतया बेच दी और समस्त

सुरेशपाल

विजेन्द्र सिंह
[Fingerprint]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-: 7 :-

विक्रय मूल्य विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से नकद धर पर प्राप्त करके उक्त विक्रित भूमि को अपने सारे ही अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर द्वितीय पक्ष को व्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतया अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज व अधिकारी बना दिया है। अब प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विक्रित भूमि से शेष नहीं रहा है, और

सुरेश चान

Handwritten signature




58 191831-8 5006
सं. 58 191831-8 5006
सं. 58 191831-8 5006


36
C142
आयुक्त मन्त्रालय
सं. 58 191831-8 5006

000000

000000



a



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18 MAR 2008
790383
सुरक्षा (सिस्टम)

-: 8 :-

न ही भविष्य में होगा। यदि प्रथम पक्ष के किसी सम्बन्धी, सहभागी या उत्तराधिकारी के वादवश अथवा आज से पूर्व के किसी भी वैधानिक दोषवश उक्त विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे, या कोई धन द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदा करना पड़ जाये तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो, क्षति व खर्चा बैनामा मय कानूनी ल्याज व कानूनी न्यायालय

सुरक्षा

सुरक्षा



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 MAR 2008

C 790384

वर्धना (दिस)

:- 9 :-

द्वारा वाद स्थगित सहित मय हर्जा व खर्चा व अदा किया हुआ धन जिस प्रकार उचित जाने, प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों से व चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त कर ले। प्रथम पक्ष तथा तथा उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाणित हो और समय पर काम आवे। इति।

अराम

अराम



32 19/3/08 5000
31 से प्राथित किया

राजकुमार, स्वामी विद्या
500 संख्या (पि००)



Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18 MAR 2008

0790385


सरधना (मिस्ट)

-: 10 :-

विक्रेता :- कुशपाल पुत्र स्व0 श्री श्याम सिंह निवासी मकान नं0-209, शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ
विक्रेता के बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता के दैये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



अरुण कुमार

Handwritten signature and stamp.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

MAR 2009
L-561136

:- 11 :-

क्रेता :- विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेशपाल निवासी 209, शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ
क्रेता के बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



क्रेता के दाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



सुरेशपाल

विजेन्द्र सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


L 561137

-: 12 :-

नक्शा नजरी (Not to be scaled)

विक्रेता :- सुरेशपाल पुत्र स्व० श्री श्याम सिंह निवासी मकान नं०-209, शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ

प्रेता :- विनायक ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, द्वारा ट्रस्टी विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेशपाल



लगभग 200 मीटर

उत्तर




सुरेशपाल

(Handwritten signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



--: 13 :-

विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग/लिंक मार्ग/चकमार्ग/ आवासीय/वाणिज्यिक भूमि/भवन :- नहीं
2. शैक्षिक संस्थान/धर्मार्थ संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र/औद्योगिक स्थान/कोल्ड स्टोरेज :- नहीं
3. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/नलकूप/होटल/रैस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र :- नहीं
4. सरकारी/अर्द्धसरकारी/वाग/नर्सरी/निगमित कार्यालय/अन्य :- नहीं

अरशाम



अरशाम





31 19/3/08 170
No. 32
श्री. स्वामीजी साधु म. श्री. स्वामीजी साधु

स्वामीजी साधु
स्वामीजी साधु, स्वामीजी साधु
स्वामीजी साधु (स्वामीजी)



Handwritten mark or signature at the bottom of the page.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-: 14 :-

दिनांक : 19.03 उन्नीस मार्च, सन् 2008 ई०।

मसविदा : विश्वेश कुमार कौशिक, एडवोकेट, सरधना, जिला मेरठा

टाईपकर्ता : मयंक लक्खीवाल, सरधना।

VISHVESH

सुरेश चाम

मयंक लक्खीवाल

गवाह

गवाह

प्रमोद कुमार सैनी
PRAMOD KUMAR SAINI
Advocate
Reg. No. U.P. 5065/06
Tensli Compound, Saranahat (Meerut)

रोजीवतो मरधो श्री इन्द्र प्रसाद
B 170 पत्तनवापुरा मेरठ
(मेरठ)

42 18/3/88 170

श्री रामचन्द्र हाथ उ० 37 वि. शासित विवा

15/9/88
श्री रामचन्द्र हाथ उ०
1880 बरखा (बपद)



18/3/88

I 1724

177
204

2521

रामचन्द्र हाथ उ०

28-6-88
N7

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

MAR 2008 950863
भारत (INDIA)

लीज डीड



SHRESH KUMAR KAUSHIK

Reg. No. 11P/08

11 Compound, Saradhana (Meerut)

क्रियशील: 2,000/- दो हजार रुपये वार्षिक ।

अवधि: 30 तीस वर्ष ।

स्टाम्प शुल्क अंकन : 1,200 रुपये ।



SHRESH KUMAR KAUSHIK

Reg. No. 11P/08/2000
Tehsil Compound, Saradhana (Meerut)

हम श्री विनायक ऐजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, मुख्य कार्यालय
209-शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ द्वारा ट्रस्टी श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेशपाल
निवासी 209, शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ - प्रथम पक्ष

एवं

श्री विनायक विद्यापीठ, पाबली खास, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वारा
ट्रस्टी श्री संजीव तोमर पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी 170, पल्लवपुरम, फेज-प्रथम,
रूडकी रोड मेरठ - द्वितीय पक्ष

SHRI VINAYAK EDUCATIONAL
& SOCIAL WELFARE TRUST

Secretary

1998
 पञ्जाब का मुख्य : पञ्जाब
 पञ्जाब का नाम : पञ्जाब
 1998

श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा प्रती
 लखनऊ का जिला

11/3/88

20/3/88

लखनऊ 20/3/88
 2000/11/1/88

12/1/ 20/1/ 14/1/ 800

श्री विश्वनाथ सिंह 56
 पञ्जाब मेरठ
 राज्या मेरठ

209 विश्वनाथ सिंह
 19.3.2000

वने 4 मेरठ
मेरठ

मेरठ
 19.3.2000

लेख का क्र. 193/2000
 लेखक का नाम विश्वनाथ सिंह
 कुल मूल्य की प्राप्ति का दिनांक से मु.
 केरे समस्त प्राप्ति का उक्त श्री विश्वनाथ सिंह
 के स्थित्यंतर किया


विश्वनाथ सिंह के द्वारा विश्वनाथ सिंह
 द्वारा विश्वनाथ सिंह के द्वारा विश्वनाथ सिंह
 के द्वारा विश्वनाथ सिंह के द्वारा विश्वनाथ सिंह

निजवासी विश्वनाथ सिंह
 पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह
 पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह
 निवासी विश्वनाथ सिंह

विश्वनाथ सिंह
विश्वनाथ सिंह
 19.3.2000

विश्वनाथ सिंह

प्रतीत होने



L 561298


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि द्वितीय पक्ष एक शिक्षण संस्था है जो निम्न सम्पत्ति में अपना शिक्षण कार्य करना चाहते हैं। जिसके लिये द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से अपनी इच्छा जाहिर की है कि वह निम्न सम्पत्ति किराये पर दे दे। जिसको प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष को अपनी भूमि किराये पर देना तय किया है। जिसके लिये पक्षकार निम्न शर्तों के अनुसार पाबन्द होंगे। प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि 6690 वर्गमीटर छः हजार छः सौ नब्बे वर्गमीटर, अन्तर्गत खसरा नम्बरान 1689/1, रकबा 7710 वर्गमीटर, सात हजार सात सौ दस वर्गमीटर सम्पूर्ण, व खसरा नम्बर 1688/9, रकबा 1900 वर्गमीटर में से 1100 वर्गमीटर, एक हजार एक सौ वर्गमीटर व खसरा नम्बर 1696/1, रकबा 16950 वर्गमीटर, सोलह हजार नौ सौ पचास वर्गमीटर में से 4950 वर्गमीटर, चार हजार नौ सौ पचास वर्गमीटर, यानि कुल भूमि 13760 वर्गमीटर, तेरह हजार सात सौ साठ वर्गमीटर में से अपने समस्त भाग में से भूमि 6690 वर्गमीटर छः हजार छः सौ नब्बे वर्गमीटर, स्थित ग्राम पावली खास, परगना दौराला, तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष तन्हा व पूर्ण स्वामी काबिज अधिकारी है उक्त सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, व हस्तांतरण आदि से मुक्त है। अतः प्रथम पक्ष ने अपने व अपने परिवार के अधिकतम लाभ व सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त सम्पत्ति को

2

HRI VINAYAK EDUCATIONAL
SOCIAL WELFARE TRUST

Secretary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 MAR 2008

L 561295

पक्ष को अदा करता रहेगा।

- यह कि प्रथम पक्ष ने लीज किराये पर दी जाने वाली सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को मैके पर कब्जा दे दिया है। जिसमे द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने शिक्षण कार्य से सम्बन्धित निर्माण आदि करये, किनेक्शन नल व बिजली का ले, या

[Handwritten signature]

3

[Handwritten signature]

SHRI VINAYAK EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE TRUST

[Handwritten signature] Secretary

किसी विभाग आदि से स्वीकृति प्राप्त करे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति पर जो भी ग्राहकर लगेगा उसको अदा करने की जिम्मेदारी किरायेदार (द्वितीय पक्ष) की होगी।
7. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष लगातार 3 वर्ष तक निर्धारित किराया अदा नहीं करता है, तो प्रथम पक्ष को हक होगा कि वह द्वितीय पक्ष को सम्पत्ति की किरायेदारी से बेदखल कर देगा और अपना किराया बजरिये अदालत वसूल कर लेगा। ऐसी अवस्था में समस्त खर्चा मय अदालत की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
8. यह कि नियत अवधि से पूर्व यदि प्रथम पक्ष चाहेंगे तो वह द्वितीय पक्ष (किरायेदार) को 15 दिन की सूचना देकर किरायानामा समाप्त कर सकते हैं और इस पर द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का रख रखाव आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी व आवश्यकतानुसार सम्पत्ति की मरम्मत रंगाई, पुताई, निर्माण आदि कर सकता है, जिस पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति की किरायेदारी में किसी भी अन्य व्यक्ति को शिकमी या साझी या जैली किरायेदार नहीं रखेगा। यदि ऐसा करता है तो बिला लिहाज मियांद काबिले बेदखली होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे सम्पत्ति के खराब होने या हानि होने की आशंका हो। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो बिला लिहाज मियांद काबिले बेदखली होगा।
12. यह कि मियांद किराया समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को खाली कर देगा।
13. यह कि उक्त सम्पत्ति पर सरकार की तरफ से कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

अतः यह लीज डीड भली भांति सोच विचारकर अपनी स्वस्थ बुद्धि व हार्दिक इच्छा प्रसन्नता से लिख दी कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।






4
slr.

SHRI VINAYAK EDUCATIONAL
& SOCIAL WELFARE TRUST

 Secretary

प्रथम पक्ष :- श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेशपाल निवारी 209, शिवलोकपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ,
 विक्रेता के बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता के दाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



द्वितीय पक्ष :- संजीव तोमर पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवारी 170, पल्लवपुरम, फेज-प्रथम, सड़क-सीरीज़ मेरठ
 क्रेता के बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



क्रेता के दाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दिनांक : 19.03 उन्नीस मार्च सन् 2008 ई०।

मसविदा : विश्वेश कुमार कौशिक, एडवोकेट, सरघना, जिला मेरठ

टाईप : मयंक लक्खीवाल, सरघना।

KISHVESH KUMAR KAUSHIK
 Advocate
 Reg No UP : 112000
 Tehsil Compound, Sarangana (Meerut)

नोट: पृष्ठ 5 की पंक्ति 7 में 'तखीर' शब्द को 'हाथ के लिखे हुए' से बदल दिया।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



गवाह सुरेशपाल 86 गवाह
 श्री विजेन्द्र सिंह 209 प्र.
 शिवलोकपुरी कंकरखेड़ा मेरठ

5

[Handwritten signature]

SHRI VINAYAK EDUCATIONAL
 & SOCIAL WELFARE TRUST

[Handwritten signature]
 Secretary

33.6

18/3/10
P 124
312
326
2385

10
11
12